माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 17.10.2006 को पूर्वाह्न 10.00 बजे सम्पन्न "न्यासी पर्षद, मुख्य मंत्री राहत कोष" की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :-

1. मुख्य मंत्री बिहार,
   मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार
2. मुख्य सचिव, बिहार
3. महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार
4. आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग, बिहार
5. आयुक्त एवं सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार,
6. आयुक्त एवं सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार
7. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार
8. विशेष सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार,

संकल्प–1 मुख्य मंत्री राहत कोष नियमावली के नियम–8 (b)(d) के तहद जून, 2006 से अबतक सहायता राशि के रूप में श्री संजय कुमार चौधरी, पिता–श्री खड़गधारी चौधरी, ग्राम–भगहर, पो0–बाराचट्टी, जिला–गया एवं अन्य 26 (छब्बीस) छात्रों/मरीज को उच्च शिक्षा/चिकित्सा के लिये कुल 6,64,831/–रूपये (छह लाख चौसठ हजार आठ सौ एक्तीस) मात्र की स्वीकृति/विमुक्ति विभिन्न शिक्षण संस्थानों/चिकित्सा संस्थान को की जा चुकी है ।

आज की बैठक में न्यासी पर्षद द्वारा इस पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी ।

संकल्प–2 मुख्य मंत्री राहत कोष नियमावली की नियम 8 (d) एवं 8 (e) के तहद् मुख्य मंत्री राहत कोष से उच्च शिक्षा (पोस्ट मैट्रिक) मद तथा प्रतिभावान खिलाड़ियों को सहायता राशि स्वीकृत करने के क्रम में आन्तरिक मार्गदर्शिका तैयार की गयी है ।

सम्यक विचारोंपरान्त आन्तरिक मार्गदर्शिका (Internal Guidelines) को न्यासी पर्षद द्वारा दिनांक 25 मई, 2006 के प्रभाव से अनुमोदित किया गया ।

संकल्प–3 सम्यक एवं विस्तृत विचारोपरान्त आन्तरिक मार्गदर्शिका के अन्तर्गत आच्छादित मामलों में मुख्य मंत्री राहत कोष नियमावली के नियम 18 के तहद् वित्तीय शक्तियाँ विशेष सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय को प्रत्यायोजित करने का निर्णय लिया गया । इससे भिन्न मामलों में मुख्य मंत्री–सह–अध्यक्ष, की स्वीकृति आवश्यक होगी ।

संकल्प–4 मुख्य मंत्री राहत कोष नियमावली के नियम–12 के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (C.G.H.S) द्वारा मान्यता प्राप्त सम्पूर्ण भारत वर्ष के अस्पतालों को मुख्य मंत्री राहत कोष नियमावली के नियम 12 के तहद् दिनांक 25 मई, 2006 के प्रभाव से अंगीकृत करने और अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया ।

यह भी प्रस्ताव किया गया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (C.G.H.S) के तर्ज पर राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत राज्य के चिकित्सा सुविधाओं के दृष्टिकोण से मध्यम एवं उत्तम श्रेणी के प्रखण्ड–स्तरीय, अनुमण्डल–स्तरीय, जिला–स्तरीय एवं राज्य मुख्यालय में अवस्थित निजी अस्पतालों की पहचान स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से करवाकर अधिसूचित करने की कार्रवाई की जाय, ताकि ऐसे निजी अस्पतालों में जनसामान्य द्वारा कराये जाने वाले चिकित्सा मद पर प्रतिपूर्ति अनुमान्य किया जा सकें ।

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न की गयी ।

ह0 / –
(नीतीश कुमार)
मुख्य मंत्री, बिहार–
सह–अध्यक्ष,
मुख्य मंत्री रहात कोष ।

ज्ञापांक–सा0–30 / 2005–47946 / मु.मं.स., पटना, दिनांक–10/11/06

प्रतिलिपि–

1. माननीय मुख्य मंत्री जी के आप्त सचिव, बिहार, पटना ।
2. मुख्य सचिव, बिहार, पटना ।
3. महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना ।
4. आयुक्त एवं सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना ।
5. आयुक्त एवं सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना ।
6. आयुक्त एवं सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार, पटना ।
7. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बिहार, पटना ।
8. विशेष सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

10/11/06

(चंचल कुमार)
विशेष सचिव,
मुख्य मंत्री सचिवालय,
बिहार, पटना ।